कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर
जिला नारायणपुर (छ0ग0)

Ph.& Fax No. 07781-252913 E-Mail ID cmho.narayanpur@gmail.com

क्रमांक / डी.एम.एफ. / मु.चि.अ. / 2019 / 3836 **नारायणपुर, दिनॉक 22/6/19**

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
जिला नारायणपुर,

विषय :— **प्रेस विज्ञप्ति अपलोड करने के संबंध में ।**

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि स्वास्थ्य सुविधा के सुदृढ़ीकरण हेतु लेब टेक्नीशीयन, फार्मासिस्ट ग्रेड 02, ड्रेसर, वार्ड ब्वाय एवं वार्ड आया पदों पर जिला खनिज न्यास निधि (डी.एम.एफ.) के तहत संविदा आधार पर नियुक्ति किया जाना, इस हेतु विज्ञप्ति कृपया www.narayanpur.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करेंगे ।

संलग्न :— **विज्ञप्ति की प्रति ।**

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नारायणपुर

पृ.क्रमांक / डीएमएफ / मु.चि.अ. / 2019 नारायणपुर, दिनॉक ....

प्रतिलिपि :—

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर, जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नारायणपुर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर
जिला नारायणपुर (छ0ग0)

Ph.& Fax No. 07781-252913 E-Mail ID cmho.narayanpur@gmail.com

क्रमांक / डी.एम.एफ. / मु.चि.अ. / 2019 / 3836 नारायणपुर, दिनॉक 29/6/19

–:: विज्ञप्ति ::–

जिला नारायणपुर अंतर्गत संचालित जिला चिकित्सालय / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधा के सुदृढ़ीकरण हेतु स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि (डी.एम.एफ.) मद के अंतर्गत लेब टेक्नीशीयन, फार्मासिस्ट ग्रेड 02, ड्रेसर, वार्ड ब्वाय, वार्ड आया आदि पदों हेतु योग्यताधारी अभ्यर्थियों से कौशल परीक्षा / मेरिट सूची के आधार पर संविदा नियुक्ति किया जाना है, जिस हेतु जिले के स्थानीय निवासियों को चयन में सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जावेगी, तत्पश्चात् पद रिक्त होने की स्थिति में बस्तर संभाग के अन्य जिले के निवासियों को चयन में अवसर दी जावेगी । इच्छुक योग्यताधारी उम्मीदवारों से 08.07.2019 सायं 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है, पदों का विस्तृत विवरण, निर्धारित मापदंड एवं संविदा मानदेय निम्नानुसार है ।

क्र.	पदनाम	रिक्त पद संख्या	एकमुश्त मानदेय राशि	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अतिरिक्त अपेक्षित योग्यता
1	लेब टेक्नीशीयन	08	18655=00	(1) 12वी जीवविज्ञान समूह में उत्तीर्ण होना चाहिए (2) पैथॉलॉजी टेक्नीशीयन का 10 माह / 01 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या चिकित्सकीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए या अन्य समकक्ष डिप्लोमा जो पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा पंजीयन हेतु मान्य होना चाहिए (3) छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल में मेडिकल लेब टेक्नीशीयन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए	डीसीए / पीजीडीसीए
2	फार्मासिस्ट ग्रेड 02	07	16445=00	(1) 12वीं जीवविज्ञान समूह के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए (2) भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा (3) छ.ग. फार्मेसी कौंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का पंजीयन	डीसीए / पीजीडीसीए
3	ड्रेसर	06	12675=00	10वीं उत्तीर्ण, ड्रेसर प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण	डीसीए / पीजीडीसीए
4	वार्ड ब्वाय	30	10140=00	8वीं उत्तीर्ण	डीसीए / पीजीडीसीए
5	वार्ड आया	20	10140=00	8वीं उत्तीर्ण	डीसीए / पीजीडीसीए
	कुल पद	72			

टीप :– (1) योग्यताधारी अभ्यर्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नारायणपुर में ओरिजनल दस्तावेज के साथ कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर दिनॉक 08.07.2019 तक आवेदन प्राप्त कर, संपूर्ण दस्तावेजों के सत्यापित छायाप्रति के साथ जमा कर करेंगे, निर्धारित तिथि के पश्चात न तो आवेदन प्रारूप प्रदाय किया जावेगा एवं न ही स्वीकार्य किया जावेगा ।

(2) नियम एवं शर्तें तथा अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल एवं **www.narayanpur.gov.in** में अवलोकन किया जा सकता है ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नारायणपुर

डी.एम.एफ. के तहत संविदा भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण शर्तें एवं दिशा–निर्देश :–

1. आवेदक जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in में विज्ञापन से संबंधित विस्तृत नियम शर्तें का अवलोकन कर सकते हैं ।
2. दिनॉक 08.07.2019 सायं 5:00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नारायणपुर (छ.ग.) में ओरिजनल दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर आवेदन प्राप्त कर, संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति के साथ जमा किया जा सकता है ।
3. विज्ञापन का प्रारूप /निरस्त किये गये आवेदकों का पदानुसार विवरण/ दावा आपत्ति की सूचना/ लिखित परीक्षा की तिथि/कौशल परीक्षा की तिथि/आवेदकों में छंटनी किये गये अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा केन्द्र की जानकारी जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के सूचना पटल पर उपलब्ध करायी जावेगी, इस संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने संबंधी आपत्ति स्वतः खारिज मानी जावेगी । चयन के किसी भी स्तर पर या काउंसलिंग के समय भी यदि आवेदक उपस्थित नहीं होता है तो इसे उसके कार्य के प्रति अरूचि मानते हुए चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जावेगा ।
4. आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थाओं या कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर में ली जा सकती है, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान देय नहीं होगा ।
5. संविदा भर्ती में जिला नारायणपुर के निवासियों को चयन में प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी, पद रिक्त होने की स्थिति में बस्तर संभाग के अन्य जिले के निवासियों को अवसर दिया जावेगा ।
6. अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण तथा समय–सीमा समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे ।
7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को अच्छी तरह से नस्तीबध्द किया जावे । आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करें (1) आवेदन पत्र (2) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (4) जाति प्रमाण पत्र (5) निवास प्रमाण पत्र (6) रोजगार पंजीयन (6) अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र (7) अन्य प्रमाण पत्र
8. एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन जमा करना होगा
9. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकायें अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा ।
10. अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
11. संविदा मानदेय :– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय जिला खनिज न्यास निधि मद से देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा ।
12. उक्त पदों की संविदा नियुक्ति **एक वर्ष तक या जिला खनिज न्यास निधि मद से मानदेय राशि प्राप्त होने तक** के लिए होगी । जिला खनिज न्यास निधि मद से मानदेय राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी, जिस पर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति किसी भी संघ के आव्हान पर हड़ताल में सम्मिलित नहीं होंगे इस हेतु शपथ पत्र नियुक्ति के समय संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा ।
13. प्रतीक्षा सूची के वैद्यता एक वर्ष की होगी ।
14. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, इसी प्रकार किसी भी अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन जमा करना होगा ।
15. यह संविदा नियुक्ति अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करने के पर संबंधित को अपने मूल पदस्थापना स्थल में निर्धारित समयावधि में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगी ।

15. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है, कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा ।

16. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर, जिला नारायणपुर को होगा, जो सभी को मान्य होगा ।

17. शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा ।

18. नियुक्ति में शिथलीकरण का अधिकार जिला चयन समिति को होगा ।

19. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी, प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी अवलोकन कर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पायी जावेगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी, त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

20. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

21. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे

22. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा ।

23. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में संबंधित संस्था का नाम, डिस्पैच क्रमांक/दिनॉक, किस पद का अनुभव है एवं कब से कब तक का अनुभव है उक्त अवधि का उपस्थिति पंजी का सत्यापित छायाप्रति एवं वेतन भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र विचारणीय नहीं होगा । केवल शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा जारी होने एवं विज्ञापित पद के अनुरूप होने पर ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा ।

24. अनुभव प्रतिवर्ष 02 अंक के आधार पर अधिकतम 10 अंक प्रदाय किया जावेगा ।

25. दिनॉक 01.01.2019 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, आरक्षित वर्ग के साथ–साथ महिलॉए, भूतपूर्व सैनिक, विकलॉग, अन्य उम्मीदवारों को नियमानुसार शासन द्वारा देय आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी ।

26. अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता/लिखित परीक्षा/अनुभव/ के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।

27. जिला खनिज न्यास निधि मद से संविदा भर्ती हेतु स्वीकृत पदों के अनुसार पृथक से रोस्टर तैयार की जावेगी ।

28. कौशल परीक्षा के दिन निम्नानुसार मूल दस्तावेजों के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :–

1. विज्ञापित पद अनुसार 8वीं, 10वी. 12वीं. का अंकसूची
2. प्रशिक्षण संबंधित अंकसूची ।
3. संबंधित कौंसिल का पंजीयन
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
5. निवास प्रमाण पत्र
6. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन ।
7. अनुभव प्रमाण पत्र
8. अन्य प्रमाण पत्र ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नारायणपुर